बिस्मिल्ला – हिर्रहमान निर्रहीम

स्मृति – पत्र   संशोधित

दस्तूरूलअमल इस्लामी फण्ड नजीबाबाद जिला बिजनौर (उ0 प्र0)

नाम– इस इदारे का नाम इस्लामी फण्ड नजीबाबाद होगा।

दफ्तर– इस इदारे का सदर दफ्तर मौहल्ला ~~[illegible]~~ मकबरा अजमलखां रोड नजीबाबाद जिला बिजनौर होगा।

— अगराजो मकासिद—

1–गुरेबा व हाजिद मन्द लोगो की फलाह व बहबुदी के लिये इकतसादी खुशहाली के लिऐ बेहतर जरये मुहय्या करना।

2– मुस्लिम बहीखवाहो से बतौरअमानत रकम जमा करना।

3–तिलाई व नुकरई या दीगर अशया–ए–किफ्लत (कर्ज) और जमानत पर जो ~~[illegible]~~ मजलिसे आमला को काबिले कबूल हो हाजित मन्दो को बिला सूद देना।

4–इस्लामी फण्ड की सिर्फ इमदादी और मुनाफा बख्श जाराये से हासिल होने वाली रकूमता को जिनका हवाला आगे चलकर दर्ज है (मुन्दर्जा जैल उमूर पर सर्फ करना।

अ– नादार और गरीब तलैबा जो तालीम मे इम्तियाजी हैसियत रखाते हो या दीनी व दुनियावी आला तालीम हासिल कर रहे हो उनका कर्ज बिला सूद शाख्सी जमानत पर मुस्तकिल इकरारनामे के जरिये देना।

ब– नादार और मुस्तहिक तलैबा की इमदाद करना।

स–इक्तेसादी और फलाह व अमूर मे हिस्सा लेना

द– हर ऐसेइक्दामात करना जो मजलिसे आमला पास करे और जिससे इदारे की तरक्की व वुसअत हासिल हो।

5– लडकियो व लडको के प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षाके लिये स्कूल खोलना

6–इस्लामिया गर्ल्स स्कूल के विकास केलिये कार्य करना।

7– ~~[illegible]~~

Mohd Ayub   Dr Shahid Hasan

[signatures]

प्रति प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ0 प्र0 मुरादाबाद

Scanned by CamScanner

(बिस्मिल्ला-हिर्रहमान निर्रहीम) नियमावली. Nasim Ahmad

दस्तूरूलअमल इस्लामी फण्ड नजीबाबाद जि0 बिजनौर (उ0 प्र0)

नाम :- इस इदारे का नाम इस्लामी फण्ड नजीबाबाद होगा। Nasim Ahmad

दफ्तर :- इस इदारे का सदर दफ्तर नजीबाबाद ~~होगा~~। मो० मुगलूशाह नजीबाबाद जिला बिजनौर

-: अगराजो मकासिद :-

(1) गुरेबा व हाजत मन्दो लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए इकतसादी खुशहाली के लिए बेहतर जराये मुहय्या करना।

(2) मुस्लिम बहीख्वाहों से बतौर अमानत रकम जमा करना।

(3) तिलाई व नुकरई या दीगर अशया-किफालत व और जमानत पर जो मजलिसे आमला काबिले कबूल हो हाजत मन्दों को कर्ज बिला सूद देना।

(4) इस्लामी फण्ड की सिर्फ इमदादी और मुनाफा बख्श जराये से हासिल होने वाली रकमात को (जिनका हवाला आगे चल कर दर्ज है) मुंदरजा जैल उमूर पर सर्फ करना।

(अ) नादार और गरीब तलेबा जो तालीम में इमतियाजी हैसियत रखते हो या दीनी व दुनियावी आला तालीम हासिल कर रहे हो उनको कर्ज बिला सूद शख्सी जमानत पर मुआहेदा इकरारनामे के जरिये देना।

(ब) नादार और मुस्तहिक तलबा की इमदाद करना।

(स) इकतसादी और फलाह उमूर में हिस्सा लेना।

(द) हर ऐसे इकदामात करना जो मजलिसे आमला पास करे और जिससे इदारे की तरक्की व वुसअत हासिल हो।

-: तशकील इस्लामी फन्ड :-

इस इदारे की तीन मजालीस और हस्बे जैल ओहदेदार होंगे।
मजलिसे आममा मजलिसे मुनतजमा, मजलिसे आमला, सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी, नायब सेक्रेटरी, खाजन।

दफा नं0-1 (मजलिसे आम्मा)

(क) हर मर्द व औरत बालिग 10/- (दस रु0) फीस मेम्बरशिप अदा करके मजलिसे आम्मा का मेम्बर बन सकेगा।

निरन्तर पृ0 2 पर....

Scanned by CamScanner

प्रबन्धकारिणी समिति खास के सदस्यों के नाम पते पद,व्यवसाये जिनको संस्था के नियमानूसार का भार सौंपा है निम्न हैं :–

कम सं0	नाम	पिता का नाम	पता	व्यवसाय	पद
1	मौ0 इश्तियाक अहमद	अब्दुल गफूर	मौ0 दरूदग्रान नजीबाबाद बिजनौर	व्यापार	अध्यक्ष
2	मौ0 इलियास	इनायत हुसैन	मौ0 मुगलूशाह नजीबाबाद बिजनौर	व्यापार	उपाध्यक्ष
3	मौ0 अय्यूब	अब्दुल सलाम	मौ0 मुगलूशाह नजीबाबाद बिजनौर	व्यापार	मंत्री
4	अब्दुल रऊफ खाँ	अब्दुल हमीद	मौ0 सबनीग्रान नजीबाबाद (बिजनौर)	व्यापार	उपमंत्री
5	अब्दुल समद	अब्दुल रजाक	मौ0 जाब्तागंज नजीबाबाद (बिजनौर)	एडवोकेट	कोषाध्यक्ष
6	अमजद अली	नादिर अली	मौ0 कलालान " "	व्यापार	सदस्य
7	डा0 शमसुल इस्लाम	अब्दुल सलाम	मौ0 पठानपुरा " "	डाक्टर	सदस्य
8	डा0 शाहिद हुसैन	अब्दुल वहीद	मौ0 मुगलूशाह " "	डाक्टर	सदस्य
9	शरीफ अहमद	अब्दुल हक	मौ0 मुगलूशाह " "	व्यापार	सदस्य
10	मौ0 इब्राहीम	अब्दुल करीम	मौ0 मुगलूशाह " "	व्यापार	सदस्य
11	जमील अहमद	अब्दुल रहमान	मौ0 ग्रम हरसुवाडा " "	व्यापार	सदस्य
12	अब्दुल सत्तार	अब्दुल करीम	मौ0 जाब्तागंज " "	व्यापार	सदस्य
13	अब्दुल रशीद	अब्दुल मजीद	मौ0 मुगलूशाह " "	व्यापार	सदस्य
14	मौ0 असलम	मौ0 याकूब	मौ0 जाब्तागंज " "	एडवोकेट	सदस्य
15	शब्बीर अहमद	नजीर अहमद	मौ0 रम्पुरा " "	ठेकेदार	सदस्य
16	शमशुद्दीन	अब्दुल सलाम	मौ0 जाब्तागंज " "	व्यापार	सदस्य
17	मुखतार अहमद	शब्बीर अहमद	मौ0 ग्रम हरसुवाडा " "	सर्विस	सदस्य
18	नसीम अहमद	मौ0 यासीन	मौ0 रम्पुरा " "	व्यापार	सदस्य
19	मौ0 हनीफ	अली हसन	मौ0 ग्रम फजलपुर तमेला "	व्यापार	सदस्य
20	मौ0 जाकिर	रफीक अहमद	मौ0 पाईबाग " "	टेलर्स	सदस्य
21	मौ0 रोशन	मौ0 हाशिम	मौ0 सेवाराम " "	व्यापार	सदस्य

Abdul Sattar
A Samad
S. Alam
Amjad Ali
Dr Shahid Hasan
Mohd. Ibrahim

Mohd Ayub
Mohd. Zakir

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
मुरादाबाद
31/8/06

Scanned by CamScanner

§ख§ सिर्फ काबिले ऐतमाद और सहीउल-अक्ल अशखास ही मेम्बरी के काबिल समझे जायेंगे बशर्ते कि कम अज़ कम 18 बर्ष के हों।

§ग§ मजलिसे आम्मा के मेम्बराने की तादाद मुकर्रर नहीं होगी।

§घ§ मेजलिसे आम्मा की मेम्बरशिप मौत या इस्तीफे§बशर्ते कि वजूहाते इस्तीफा मजलिसे मुन्तजमा के लिए काबिले कबूल हो पर खत्म तसव्वुर की जायेगी।

-: दफा नं० 2 मजलिसे मुन्तजमा

मजलिसे मुन्तजमा इस्लामी फण्ड नजीबाबाद इक्कीस 21 अरकान पर मुश्तमिल होगी जिसका इन्तखाब मजलिसे आम्मा कसरते आरा से करेगी। मगर इसमें पाँच साल के बाद मेम्बरान बारी-बारी रिटायर्ड होते रहेंगे। और उनकी जगह ऐसे अशखास लिये जायेंगे जिनकी सिफारिश मजलिसे मुन्तजमा करेगी। रिटायर्ड होने वाले अश्खास दोबारा या सहबारा मुन्तखिब हो सकेंगे।

मजलिसे मुन्तजमा की मेम्बरशिप मौत या इस्तीफे पर खत्म की जायेगी बशर्ते कि वजूहात इस्तीफा मजलिसे मुन्तजमा के लिए काबिले कबूल हों।

-: दफा नं० 3 मजलिसे आमला :-

सदर अपने इख्तयारे खसूसी से दफा नं० 10§क§ एक मजलिसे आमला मुन्नामजद करेगा जिसकी तादाद ग्यारह अफराद पर मुश्तमिल होगी। जिस में पाँच ओहदेदार और छः अरकान मजलिसे मुन्तजमा के मेम्बर होंगे।

-: दफा नं० 4 फरायज व इख्तयारात मजलिसे आम्मा :-

मजलिसे मुन्तजमा का कसरते आरा से इन्तखाब करना।

खुसूसियत :- मजलिसे आम्मा में मेम्बारान इस्लामी फण्ड नजीबाबाद के बुनियादी मेम्बर तसव्वुर किये जायेंगे और इस्लामी फण्ड नजीबाबाद को अपना बहीखवाह तसव्वुर करेगा।

-: दफा नं० 5 फरायज व इख्तयारात मजलिसे मुन्तजमा :-

§क§ मजलिसे मुन्तजमा अपने अरकान में से एक सदर का इन्तखाब करेगी।

§ख§ मजलिसे मुन्तजमा अगर सदर इस्लामी फण्ड के खिलाफ अदम ऐतमाद की तहरीक पेश करना चाहे तो कुल इक्कीस §21§ अरकाने मजलिसे मुन्तजमा में से 12 अरकान मजलिसे मुन्तजमा की तहरीरी अर्ज दाश्त पर मय दस्तखत सदर इस्लामी फण्ड के खिलाफ अदम ऐतमाद की तजवीज मन्जूर कर सकते है।

1
2 Anisur Rahman
3
4
5 Nasim Ahmad
6
7

सत्य प्रतिलिपि

निरन्तर पृ० 3 पर....

Scanned by CamScanner

§ग§ दस्तूर में तरमीम व तनसीख की आखिरी मन्जूरी मुताल्लिका या दो तिहाई अकसरियत से देना बशर्ते की मजलिसे आमला की विसातत से पेश की गई हो।

§घ§ मजलिसे मुन्तजमा दायमी नौइयत की होगी मासिवाइस तबदीली के जो दफा नं0 2 में दर्ज है ।

§ङ§ मजलिसे मुन्तजमा के तमाम फैसले अलावा दस्तूरी तरमीम व तन्सीख के कसरते आरा से होंगे ।

§च§ सालाना बजट व गोशवारा आमद व खर्च की मन्जूरी देना ।

§छ§ मजलिसे मुन्तजमा का इजलास साल में एक बार होगा। हंगामी अहवाल में 1/3 मेम्बरान की दरख्वास्त पर किसी भी वक्त बुलाया जा सकेगा।

§ज§ मजलिसे आमला की जुमला कार्यवाही की तौसीक करना ।

§झ§ मजलिसे मुन्तजमा के किसी मेम्बर की मौत या इस्तीफे से खाली शुदा जगह का इन्तखाब कसरते आरा से करना ।

§ट§ इत्तफाकी जरूरियात पर 5,000/- रु0 तक खर्च करने की मन्जूरी देना ।

§ठ§ मजलिसे मुन्तजमा हर साल इस्लामी फण्ड के जाति सरमाये से निस्फ हिस्से तक मासिवा खसूसी अहवाल रिजर्व फण्ड में मुन्तकिल का मजाज होगी। इस्लामी फण्ड के किसी अहम और बुनियादी जरूरत में खर्च की जा सके।

§ड§ मजलिसे आमला अगर किसी मसले में कसरते आरा से फैसला न कर सके तो उस निजाई मसले का फैसला मजलिसे मुन्तजमा ही कसरते आरा से कर सकेगी ।

-: दफा नं0 6 :- फरायज व इख्तियारात मजलिसे आमला:-

§क§ दस्तूरे असासी इस्लामी फण्ड व ज्वाबित दफ्तर मुरत्तब करना ।

§ख§ दस्तूर में तरमीम व तन्सीख की सिफारिश करना ।

§ग§ मजलिसे आमला का इजलास हर चार माह बाद हुआ करेगा । अलबत्ता 1/4 अरकान की तहरीरी अर्जदाश्त पर किसी भी वक्त बुलाया जा सकेगा ।

§घ§ मजलिसे आमला का इजलास का कोरम 1/3 होगा मगर मुलतवीशुदा इजलास का कोरम 1/4 होगा । सत्य प्रतिलिपि

निरन्तर पृ0 4 पर...

Scanned by CamScanner

﴾ङ﴿ मजलिसे आम्ला अपने हर इजलास में रिपोर्ट कारगुजारी को मन्जूर करने का मजाज होगा।

﴾च﴿ मजलिसे आम्ला साल के आखिरी में सालाना बजट में गोश्वारा आमद व सर्फ को मन्जूर करके अपनी सिफारिश के साथ मजलिसे मुन्तजमा के इजलास में बिसातत सेक्रेटरी इस्लामी फण्ड पेश करने की मजाज होगी।

﴾छ﴿ मजलिसे आम्ला के तमाम फैसले कसरते आरा से होंगे।

﴾ज﴿ दस्तूर में तरमीम व तन्सीख की सिफारिश मौजूद मेम्बरान की दो तिहाई अक्सरियत से ही हो सकेगी।

﴾झ﴿ बसूरते कर्ज बिला सूद की वसूलयाबी के लिए मुनासिब कार्यवाही की इजाजत का मजाज होगी।

﴾ट﴿ सेक्रेटरी व मैनेजर इस्लामी फण्ड दोनों को मुकदमात में पैरवी करने का इख्तियार होगा।

﴾ठ﴿ आम्ला इस्लामी फण्ड या दीगर शिकायत कुनिन्दगान की दरख्वास्तों को नमूने और उस पर फैसलों के देने की मजाज होगी।

﴾ड﴿ सेक्रेटरी इस्लामी फण्ड की रिपोर्ट पर मजलिसे आम्ला दफ्तरी अमूर के लिए किसी नई आसामी की मन्जूरी देने का मजाज होगा।

-: दफा नं0 7 सरमाया :-

फण्ड का सरमाया हस्बे जैल होगा :-

﴾क﴿ जो रकूमात बतौर अमानत जर जमानत हासिल हों वह इदारे का जाति सरमाया न होंगी।

﴾ख﴿ जो रकूमात अतियात या फीस मेम्बरशिप या फरोख्तगी लिट्रेचर या किसी भी दीगर जराये से हासिल हो वह सब इदारे का जाति सरमाया तसव्वुर होंगी।

﴾ग﴿ तमाम रकूमात मन्दरजे बाला किसी रजिस्टर्ड बैंक या खजाने में रखी जा सकेंगी।

﴾घ﴿ रकूमात अगर किसी रजिस्टर्ड बैंक में अमानत रखी जायेंगी उसकी बरामद मजलिसे आम्ला के मेम्बरान में से मन्जूर शुदा मेम्बरान के जरिये नामजद कर्दा अश्खास ही कर सकेंगे।

दफा नं0 8 :- जायदाद मन्कूला व गैर मन्कूला

इस्लामी फण्ड नजीबाबाद की जायदाद मन्कूला व गैर मन्कूला मजलिसे मुन्तजमा की तहवील में रहेगी जो उसके ट्रस्टी तसव्वुर किये जायेंगे और तमाम दीवानी

1
2 Anzur Rahman
3
4
5 Nasim Ahmad
6
7-

प्रति_प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स मुरादाबाद

निरन्तर पृ0 5 पर......

Scanned by CamScanner

व फौजदारी अगराज के लिए इसके मिल्कियत मजलिसे मुन्तजमा को ही समझा जायेगा ।

-: दफा नं0 9 - तन्सीख इस्लामी फण्ड नजीबाबाद

(क) मजलिसे मुन्तजमा 3/5 की अकसरियत से इस्लामी फण्ड नजीबाबाद को तन्सीख करने का मजाज होगा। ऐसी सूरत में मजलिसे मुन्तजमा आला नामजद करेगी और इस्लामी फण्ड के तमाम कागजात हिसाब व किताब व रकूमात असबाये मन्कूला व गैर मन्कूला उसके सुपुर्द कर देगी। यह मुन्तजीमे आला इस्लामी फण्ड के जुमला लेन-देन का मजाज होगी और इस्लामी फण्ड के फाजिल रुपये को किसी कारे खैर में लगा देगा जिनका हवाला अगराजो मकासिद में दिया गया है।

(ख) बसूरते निजा अदालते दिवानी बिजनौर में इख्तियारात समाअत हासिल होगे और मजलिसे आमला/इस्लामी फण्ड अदालते मजाज के फैसलो के पाबन्द होगे।

-: दफा नं0 10 - फरायज व इख्तियारात सदरे मोहतरम

(क) ओहदेदारान व अरकान मजलिसे आमला को नामजद करना ।

(ख) हर सेक्रेटरी व मजालिसे व मजलिसे आमला मजलिसे मुन्तजमा, मजलिसे आम्मा के इजलास की सदारत करना ।

(ग) इजलास को बाजाब्ता रखते हुए खिलाफवर्जी करने वाले के खिलाफ तादीबी या तहरीरी कार्यवाही करना ।

(घ) मजालिस इस्लामी फण्ड नजीबाबाद के इजलास तलब करने की मन्जूरी देना।

(ङ) इत्तफाकी मद्दात पर खर्च करने की 3000/- रु0 तक की मन्जूरी देना ।

(च) किसी ओहदेदार या रुक्न मजालिसे आमला का इस्तीफा मन्जूर करना ।

(छ) ऐजन्डे के किसी अमर पर आरा की बराबरी की सूरत में कास्टिंग वोट के जरिये फैसला देना ।

(ज) किसी भी रुकने मजलिस को पागलपन या दीवालिया या किसी अखलाकी जुर्म में सजायाब होने के जुर्म में सजायाब होने की वजह से रुकनियत से महरूम करना ।

(झ) मजालिस के इजलास में मदूई ने खुसूसी को दावत देना जिनको वोट देने का हक न होगा ।

निरन्तर पृ0 6 पर......

Scanned by CamScanner

﴾ञ﴿ मजलिसे आमला के किसी भी रूक्न की खाली जगह के लिए किसी भी नये शख्स को मजलिसे मुन्तजमा के अरकान में से ही नामजद करना ।

﴾ट﴿ हर ऐसे ओहदेदार को जिन्होने इस्लामी फण्ड की तरक्की व बहबूदी के लिए मुखलिसाना खिदमात अन्जाम दी हो ओनरेरियम रकम की मन्जूरी मजलिसे आमला मुकर्रर करना ।

-: दफा नं0 11 - नायब सदर :-

सदर की अदम मौजूदगी में सदर के तमाम इख्तियारात नायब सदर को होंगे। दिगर इन्तजामी मामलात के लिए सदर के फरायज नायब सदर को तब ही मुन्तकिल समझे जायेंगे जबकि साहिबे सदर एक माह से ज्यादा अर्से के लिए नजीबाबाद से बाहर तशरीफ ले जायें या दिगर वजूह से साहिबे सदर नायब-सदर को तहरीरी तौर पर अपने इख्तियारात तफवीज़ कर दें।

-: दफा नं0 12- ब

इस्लामी फण्ड नजीबाबाद के हिसाबात आमद व सर्फ की सालाना जाँच आडिटर के जरिये कराई जायेगी।

-: दफा नं0 13 - फरायज व इख्तियारात सैक्रेटी

तारीफ :- इस्लामी फण्ड नजीबाबाद के इजराये कार का आमिले खुसुसी सैक्रेटी होगा।

﴾क﴿ मजलिसे इस्लामी फण्ड नजीबाबाद के इजलास बमन्जूरीये सदर तलब करना

﴾ख﴿ उमूर काबिले गौर ऐजन्डा की इत्तला कम अज कम 24 घण्टे कब्ल दस्ती या बजरिये डाक देना ।

﴾ग﴿ हंगामी अहवाल के पेशेनजर हस्बे तकाजाये वक्त इत्तला देना ।

﴾घ﴿ इस्लामी फण्ड नजीबाबाद से मुतालिक जुमला कागजात और मुरासलात अपने दस्तखतों से जारी करना ।

﴾ङ﴿ कार्यवाही मजालिस को रजिस्टरों में दर्ज करना और हर आइन्दा इजलास में उसकी तसदीक और तोसीक करना ।

﴾च﴿ मजलिसे आमला के हर इजलास में अराकीन ऐ आमला को इस्लामी फण्ड की कारकर्दगी से बाखबर रखना और जरूरी हिदायात हासिल करना ।

﴾छ﴿ सालाना रिपोर्ट शाय करना ।

﴾ज﴿ मजलिसे आमला की मंजूर कर्दा आसामी पर हस्बे ग्रेड तकर्रूर करना ।

﴾झ﴿ मजलिसे आमला व मुन्तजमा की मन्जूर कर्दा तजावीज़ को अमली जामा पहनाना ।

सत्य प्रतिलिपि

निरन्तर पृ0 7 पर.....

Scanned by CamScanner

(क) रसीदात व इत्तिलात को अपने दस्तखतों से जारी करना।

(ठ) इत्तफाकी मद्दात पर 1000/- रु0 तक सर्फ करना।

(ड) रजिस्टर व कब्जुल वसूल पर अमला इस्लामी फण्ड से माहाना दस्तखत लेकर मुस्तहिरा तकसीम करना।

(ढ) दरख्वास्त बाबत कर्ज बिला सूद की मन्जूरी बा मशविरा मैनेजर देना।

(ण) मख्सूस माहौल में मुद्दते कर्ज में तख्फीफ करना।

(त) नोटिसे बाब्ते फरोख्तगी अपने दस्तखतों से जारी करना।

(थ) कर्ज ख्वाह नोटिस फरोख्तगी की तामील के बाद भी अगर अश्याये मन्कूला की रकम कर्ज अदा करके वापिस न ले तो बा मशविरा मैनेजर अश्याये मन्कूला को फरोख्त करने का मजाज होगा और अपनी वाजिबुल अदा रकम मिन्हा करके बकिया रकम मकरूज को वापिस कर देगा।

(द) अमला इस्लामी फण्ड के काम की निगरानी वक्तन फवक्तन करने का मजाज होगा। नीज अमले को मुनासिब हिदायात देना और फराइजे मकबूजा मे गफलत या कोताही पर बामशविरा मैनेजर बाज्पुर्स कर सकेगा।

(ध) हस्बे जरूरत मैनेजर इस्लामी फण्ड को अपने इख्तियारात का कोई जुज तहरीरी तौर पर तफवीज करने का मजाज होगा।

(न) जो अश्याये गैर मन्कूला इस्लामी फण्ड नजीबाबाद की मिल्कियत में आयेगी उनकी रजिस्ट्री बहैसियत आमिले खुसूसी सेक्रेट्री करेगा।

दफा नं0 14 - नायब सेक्रेट्री :-

सेक्रेट्री की अदम मौजूदगी में सेक्रेट्री के तमाम इख्तियारात व फरायज नायब सेक्रेट्री को हासिल होंगे। दिगर इन्तजामी मामलात के लिए सेक्रेट्री के फरायज व इख्तियारात नायब सेक्रेट्री को तब ही मुन्तकिल समझे जायेंगे जब कि सेक्रेट्री एक माह से जायद अर्से के लिए नजीबाबाद से बाहर जाना चाहते है या दिगर वजूह से नायब सेक्रेट्री को तहरीरी तौर पर अपने इख्तियारात तफवीज करदेंगे।

-: दफा नं0 15 - खाजिन :-

इस्लामी फण्ड नजीबाबाद का जुमला मालियात का और अश्या मकफूला का खुसूसी अमीन खाजिन होगा।

-: दफा नं0 16 :- मैनेजर :-

तारीफ :- इस्लामी फण्ड का नुमाइन्दा खुसूसी मैनेजर होगा।

निरन्तर पृ0 8 पर.....

Scanned by CamScanner

-: फरायज व इख्तियारात मैनेजर :-

(क) रजिस्टर खजाना बराये रकूम अमानत पर रकम की दर आमद व बरामद के वक्त दस्तखत करना और उसी जैसे/दूसरे रजिस्टर पर खाजिन से दस्तखत हासिल करना ।

(ख) रजिस्टर बैंक में से रकम की दर आमद व बरामद बाशमूलियत सैक्रेटरी व सदर जिसमें सदर के दस्तखत जरूरी है करना ।

(ग) अशयाये मकफूला की जांच कराना और तकमीनी रकम मोतय्यन कराना।

(घ) अशयाये मकफूला को खजाने में जमा करना ।

(ङ) रकूमे कर्ज की वसूलयाबी पर अशयाये मकफूला को खजाने से बरामद करना और मालिके मकफूला से फार्मे कर्ज बिला सूद के पुश्त पर दस्तखत या निशानी अंगूठा हासिल करके अशयाये मकफूला सुपुर्द कराना ।

(च) हर एक कर्ज ख्वाह के हिसाब को बाकायदा और मुकम्मल रखवाना और जांच करके नमूने के दस्तखत करना ।

(छ) हर एक अमानतदार की रकम अमानत का रजिस्टर अमानत में इन्द्राज कराना और बाकते वापसी रकम इन्द्राज की जांच के बाद वापसी-ए रकम की इजाजत देना ।

(ज) हर एक अमानत के हिसाब को मुकम्मल और बाकायदा रखवाना और जांच के बाद नमूने के दस्तखत करना ।

(झ) तमाम शख्सी खातों की लेन-देन को शख्सी खातों में मुन्तकिल कराना और जांच के बाद नमूने के दस्तखत करना ।

(ट) कैश-बुक (रोजनामचा) के इन्द्राजात तहरीर कराना और जांच के बाद नमूने के दस्तखत करना ।

(ठ) तारीख बन्द होने के बाद रोजाना के आमद व सर्फे मुख्तलिफ मुद्दात के खातों में मुन्तकिल कराना और जांच के बाद नमूने के दस्तखत करना ।

(ड) हर माह का गोशवारा तैयार करके सैक्रेटरी मुस्लिम इस्लामी फण्ड को पेश करना ।

(ढ) जुमला दफ्तरी जरूरतों को पूरा करना ।

(ण) जुमला हिसाबात इस्लामी फण्ड नजीबाबाद के सिलसिले में जवाब देह होना।

(त) किसी भी गलत इन्द्राज को जांच के बाद सही कर देना ।

(थ) वक्तन फवक्तन मोहासिल के काम की निगरानी करना और हस्बे जरूरत हिदायत देना ।

1 [signature]
2 Adv. Anisur Rahman
3 [signature]
4 [signature]
5 Nasim Ahmad
6 [signature]
7 [signature]

[signature] [stamp]

निरन्तर पृ० 9 पर......

Scanned by CamScanner

(द) जुमला हिसाबाते इस्लामी फण्ड से सेक्रेटरी को बाखबर रखना और वक्ते जरूरत तहरीरी तौर पर मुत्तला करना ।

(घ) मोहसिल की रसीदाते अमानत वोमियां की जांच करना ।

(न) जदीद खाते खोलने की इजाज़त देना ।

(प) दरख्वास्त कर्ज बिला सूद पर तारीखे कर्ज तहरीर करके सेक्रेटरी से इजाज़त हासिल करना ।

(फ) फार्म बिला सूद पर असासे मक्फूला की जुमला तफसीलात का इन्द्राज कराना और जांच के बाद दस्तखत करना ।

(ब) कर्ज की मुद्दते मोअय्यना खत्म होने पर उसकी माहाना फहरिस्त तैयार कराना ।

(भ) नोटिस बराये इत्तला खत्मे मुद्दत अपने दस्तखतों से जारी करना ।

(झ) नोटिस बाबत फरोख्तगी असासे मक्फूला तैयार कराना ।

(ण) जुमला फार्म व दरख्वास्त व कागजात को फाइल कराना ।

(र) मोसूला डाक के जवाबात ब मशवरा सेक्रेटरी तहरीर करके सुपुर्द डाक कराना।

(ल) मजालिसे इस्लामी फण्ड के दाखला नामे और ऐजन्डे इजाज़त सेक्रेटरी जारी करना। मुलाजमीन इस्लामी फण्ड के दाखला नामों की निगरानी करना और किसी भी गलत या कोताही पर बाहुक्म सेक्रेटरी जवाब तलब करना ।

(व) रोजाना के मुतालबे लेने-देन के लिए हस्बे जरूरत रुपये की तहवील रखना ।

-: दफा नं० 17 :- मुतार्फरिकात

(क) इस्लामी फण्ड का माली साल यकुम जनवरी से 31 दिसम्बर तक माना जायेगा ।

(ख) इस्लामी फण्ड नजीबाबाद के तहत बने हुए कवायद व जवाबित के मानी या मफहूम में अगर किसी वक्त कोई निजा हो तो मजलिसे मुन्तजमा ही उसके मानी या मफहूम का ताअय्युन करेगी और वही मफहूम काबिले कबूल समझा जायेगा ।

सत्य प्रतिलिपि 5/6/014.

For IslamiFund
Secretary